"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2002 —वैशाख 14, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक 573/21-अ/प्र/21-1-2002.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-1-2002 को छ.ग. के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.एस उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं मेंप्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

(क्रमांक 5 सन् 2002)

विषय-सूची

खण्ड :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

2. परिभाषाएं.

3. रैगिंग का प्रतिषेध.

4. दण्ड.

5. संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय.

6. अपराधों का विचारण.

7. छात्र के निष्कासन के लिए नियोग्यता.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं मेंप्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

(क्रमांक 5 सन् 2002)

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तद्सम्बन्धी एवं तद्जनित विषयों के प्रावधान हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2002) है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ''रैगिंग''से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो.

(ख) ''शैक्षणिक संस्था'' में शासकीय, स्वशासी एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं शामिल है.

रैगिंग का प्रतिषेध.

3. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा.

दण्ड

4. यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा.

संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय.

5. इस अधिनियम के संज्ञान किये जाने योग्य प्रत्येक अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय होगा.

अपराधों का विचारण.

6. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा.

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक-2 सन् 1974) के उपबन्ध लागू होंगे.

छात्र के निष्कासन के लिए नियोग्यता.

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था का प्रधान इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित, तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावासों में प्रवेश से वर्जित कर सकेगा.

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन का भागी होगा.

(3) ऐसे छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, को किसी भी शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001